संख्याः 347 /XVII(4)/2023-29/2010(49916)

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक 23 फरवरी, 2023

विषयः–किशोरी बालिकाओं हेतु योजना–SAG के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उपयोग हेतु शासनादेश जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–5009/कि0बा0यो0–5789/2022–23 दिनांक 14.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि उप सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–11/4/2021-CD-I(e-95706), दिनांक 01 अगस्त, 2022 के द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना–SAG के क्रियान्वयन हेतु नवीन दिशानिर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार राज्य के आकांक्षी जनपदों हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में योजना का संचालन किया जायेगा। नवीन दिशानिर्देश के अनुसार किशोरी बालिकाओं के लिये योजना–SAG योजना के पोषण घटक के अन्तर्गत चयनित जनपद की 14 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार प्रदान किया जायेगा। जिसके लिये प्रति लाभार्थी प्रतिदिन रू0 9.30 की धनराशि के व्यय का प्राविधान किया गया है। अतः किशोरी बालिकाओं हेतु योजना–SAG के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उपयोग एवं पोषाहार घटक के क्रियान्वयन हेतु नवीन व्यवस्था निम्नवत् की जाती हैः–

1. योजना का उद्देश्य–योजनान्तर्गत किशोरी बालिकाओं के जीवन चक्र के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किशोरी बालिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें कुपोषण की अंतर–पीढ़ीगत समस्या का समाधान किया जायेगा। योजना का उद्देश्य देश के चिन्हित क्षेत्रों में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को पोषण घटक के तहत उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए पोषण सहायता प्रदान करना और उन्हें आई0एफ0ए0 पूरकता, स्वास्थ्य जांच और रेफरल प्रदान करना है। योजना के गैर पोषण घटक के तहत सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं कौशल विकास आदि प्रदान करना है।

2. योजना का कवरेज– भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों के आकांक्षी जिलों में 14–18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को एसएजी (SAG) के तहत कवर किया जाएगा।

3. पात्रता– इस योजना के लाभार्थी 14–18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियां होंगी, जिनकी पहचान राज्य की संबंधित परियोजनाओं द्वारा की जाएगी। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने

के लिए सभी लाभार्थियों को आधार पंजीकरण आवश्यक होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का वितरण समन्वित बाल विकास सेवाओं (ICDS) के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों 14 से 18 वर्ष के आयुवर्ग की किशोरी बालिकाओं को आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा।

लाभार्थियों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा, भारत सरकार के द्वारा उक्त आवंटित खाद्यान्न की मात्रा के सापेक्ष तय की जायेगी, जिसके लिये समय–समय पर अलग से निर्देश दिये जायेंगे।

योजना का लाभ पोषण ट्रेकर में पंजीकृत किशोरी बालिकायें, जिनका आधार का पंजीकरण किया गया हो, उनको दिया जायेगा। साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्मित प्रबन्ध पोर्टल में भी उक्त किशोरी बालिकाओं को योजना के लाभ हेतु पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न की मात्रा में वृद्धि/कमी होने के क्रम में वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा में तद्नुसार परिवर्तन किये जायेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किये गये आवंटन के सापेक्ष लाभार्थियों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की तय की गयी मात्रा के उपरान्त जो खाद्यान्न आंगनवाड़ी केन्द्र पर अवशेष उपलब्ध होगा, वह भी लाभार्थियों को बराबर मात्रा में वितरित किया जायेगा। लाभार्थी को खाद्यान्न का वितरण आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्रत्येक माह की 05 तारीख को पोषण दिवस की तिथि में किया जायेगा।

4. योजना के तहत पोषण संबंधी लाभ– पोषाहार घटक के तहत आकांक्षी जनपदों की 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को वर्ष में 300 दिनों के लिए टेक होम राशन (टी0एच0आर0) के रूप में 600 कैलोरी, 18–20 ग्राम प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त पूरक पोषण प्रदान किये जाने का लक्ष्य है। इस संबंध में जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं होती है, तब तक भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का वितरण पात्र लाभार्थी को किया जायेगा। संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्रीय मुख्य सेविका के माध्यम से संबंधित केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी तद्विषयक निर्देश जारी किये जायेंगे। साथ ही पोषण ट्रैकर के माध्यम से लास्ट–माइल ट्रैकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

5. योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उपभोग हेतु निम्नवत् व्यवस्था सुनिश्चित की जानी होगी:–

1–भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान का उठान : योजनान्तर्गत वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राज्य को आवंटित किये गये खाद्यान्न जैसे गेहूँ एवं फोर्टीफाईड चावल के लिये क्रमशः रू0 2.00 प्रति किग्रा0 एवं रू0 3.00 प्रति किग्रा0 की दर निर्धारित की गई है। भारत सरकार द्वारा आवंटित किये जाने वाले खाद्यान्न का उठान राज्य में स्थापित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से किया जायेगा, जिसके लिये उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर उठान किये गये खाद्यान्न के मूल्य का भुगतान किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा आवंटित

किये जाने वाले विभिन्न खाद्यान्न भी राज्य में स्थापित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठाये जायेंगे, जिसके लिये उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सम्बन्धित खाद्यान्न के मूल्य का भुगतान किया जायेगा। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न के मूल्य की धनराशि का भुगतान किशोरी बालिकाओं हेतु योजना–SAG के अन्तर्गत पोषाहार घटक हेतु उपलब्ध बजट से किया जायेगा।

2– **लाभार्थी तक खाद्यान्न के वितरण हेतु आपूर्ति श्रंखला (Supply Chain) की व्यवस्थाः–**

I. योजनान्तर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य को आवंटित खाद्यान्न की प्राप्ति राज्य में स्थापित भारतीय खाद्य निगम के चिन्हित गोदामों से ली जायेगी। इसके लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य मे स्थापित भारतीय खाद्य निगम के चिन्हित गोदामों से निर्धारित मात्रा में खाद्यान का उठान, खाद्य विभाग के बेस गोदामों तक तथा बेस गोदामों से आन्तरिक गोदामों तक तथा आन्तरिक गोदामों से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तक किया जायेगा।

II. विवेच्य है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा शिक्षा विभाग के साथ प्रधानमंत्री पोषण योजना (एम0डी0एम0) के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के मांगानुसार खाद्यान्न (चावल) का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से बेस गोदाम/बेस गोदामों से आन्तरिक गोदाम/आन्तरिक गोदामों से उचित दर विक्रेताओं तक उठान कर संचरण किया जाता है। जिसमें आई0सी0डी0एस0/बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा केन्द्र से सम्बन्धित लाभार्थियों की शासनादेशानुसार आवंटित मात्रा का गोदामवार मांग पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। तदनुसार जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा भारतीय खाद्य निगम को मांग पत्र/गोदामवार आवंटन सूची उपलब्ध कराते हुये खाद्यान्न का संचरण किया जायेगा।

III. तत्पश्चात सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा खाद्य विभाग के आन्तरिक गोदामों से अपने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को आवंटित मात्रानुसार खाद्यान्न का उठान किया जायेगा।

IV. सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा अपने केन्द्र के लाभार्थियों के सापेक्ष आवश्यक मात्रानुसार खाद्यान्न का उठान सुनिश्चित किया जायेगा।

इस व्यवस्था के समुचित क्रियान्वयन हेतु राज्य में स्थापित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से लेकर आंगनवाडी केन्द्र तक खाद्यान्न का उठान एवं आपूर्ति करने वाले प्रत्येक स्तर (विभिन्न गोदाम/सस्ते गल्ले की दुकान/आंगनवाड़ी केन्द) की मैपिंग की जायेगी, ताकि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से लेकर आंगनवाडी केन्द्र तक खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करने वाले प्रत्येक स्तर के चिन्हित गोदामों/शासकीय सस्ते गल्ले की दुकान/केन्द्र आदि को खाद्यान्न के उठान की मात्रा एवं उसके उठान के केन्द्र तथा आपूर्ति किये जाने वाले स्थान की स्पष्ट जानकारी हो सके। मैपिंग की कार्यवाही, निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस कार्य में जुड़े समस्त विभाग के सक्षम कार्यालय से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न

की मात्रा के सापेक्ष लाभार्थी को वितरित की जाने वाली खाद्यान्न की मात्रा सुनिश्चित होने के कारण आंवटित खाद्यान्न की मात्रा में परिवर्तन होने की स्थिति में लाभार्थी को वितरित की जाने वाली खाद्यान्न की मात्रा मे भी परिवर्तन किया जाना होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह आवंटित खाद्यान्न के उठान से पूर्व मैपिंग की कार्यवाही कर सम्बन्धित विभाग के साथ साझा की जायेगी, ताकि आपूर्ति श्रंखला (Supply Chain) प्रभावित न हो।

3– किशोरी बालिकाओं हेतु योजना–SAG के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उपभोग, आपूर्ति श्रंखला (Supply Chain) के क्रियान्वयन आदि हेतु वित्त की व्यवस्था एवं भुगतान आदि की प्रक्रिया–

I. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य को आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष राज्य में स्थापित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठाये जाने वाले खाद्यान्न के सापेक्ष धनराशि का भुगतान, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित खाद्यान्न हेतु निर्धारित दरों के आधार पर निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादून द्वारा भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।

II. राज्य में स्थापित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा बेस गोदाम तथा बेस गोदाम से जनपदस्तरीय आन्तरिक गोदाम तक तथा आन्तरिक गोदामों से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तक किये जाने वाले खाद्यान्न की परिवहन की धनराशि (राज्य शिक्षा विभाग द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड को एम0डी0एम0 योजना में भुगतान की जा रही धनराशि के अनुरूप जो वर्तमान में रू0 150.00 प्रति क्विंटल) का भुगतान रू0 150.00 प्रति क्विंटल की दर से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग (मैदानी जनपदो हेतु संम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, कुमाँयू/गढ़वाल तथा पर्वतीय जनपदों हेतु जिला पूर्ति अधिकारी को खाद्यान्न की मात्रा के ढुलान के अनुसार की गई मांग के आधार पर) को किया जायेगा।

III. सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से आंगनवाड़ी केन्द्र तक के ढुलान भाड़े का व्यय सम्बन्धित आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा वहन किया जायेगा। चूँकि संबंधी आकांक्षी जनपद मैदानी क्षेत्र में होने के कारण इस ढुलान के लिये सम्बन्धित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को रू0 100 प्रति क्विंटल प्रति किमी0 (0–1 किमी0 की दूरी पर रू0 100 प्रति क्विंटल 1–2 किमी0 की दूरी पर रू0 200 प्रति क्विंटल, 2–3 किमी0 की दूरी पर रू0 300 प्रति क्विंटल, 3–4 किमी0 की दूरी पर रू0 400 प्रति क्विंटल, 4–5 किमी0 की दूरी पर रू0 500 प्रति क्विंटल.....) की दर (न्यूनतम रु0 100.00 भले ही मात्रा एक क्विंटल से कम हो) के आधार पर आबंटित किया जायेगा।

उक्त निर्धारित धनराशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो का भुगतान निर्धारित अभिलेखो के आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी की संस्तुति पर निदेशालय द्वारा ढुलान के व्यय की प्रतिपूर्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय खातों में अन्तरित की जायेगी।

IV. इसके अतिरिक्त सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदारों को उनके द्वारा उठान किये गये एवं आंगनवाडी कार्यकती/मिनी आंगनावड़ी कार्यकर्ती को दिये गये खाद्यान्न के एवज में रु0 180.00 प्रति क्विंटल की दर से (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार एन0एफ0एस0ए0–प्रभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत निहित लाभांश की दर के अनुरुप) भुगतान किया जायेगा। लाभांश की धनराशि के बजट का आवंटन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी को किया जायेगा, जिनके माध्यम से लाभांश की धनराशि, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदारों के बैंक खातों में अन्तरित की जायेगी।

उक्तानुसार भुगतान की व्यवस्था के क्रियान्वयन, भुगतान के सापेक्ष लिये जाने वाले आवश्यक अभिलेख जैसे–मांग पत्र/बिल/चालान/प्रमाण पत्र/एकाउन्ट नम्बर आदि भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण इस कार्य से जुड़े विभाग के सक्षम कार्यालय आपसी समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करेंगे, ताकि आपूर्ति श्रंखला (Supply Chain) एवं भुगतान की प्रक्रिया निर्बाध रुप से संचालित रहे।

योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उपभोग को सुनिश्चित करने हेतु की जा रही उक्त समस्त व्यवस्थाओ में होने वाले व्यय का भुगतान, समन्वित बाल विकास सेवाओं (ICDS) के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं हेतु योजना–SAG हेतु उपलब्ध बजट से किया जायेगा।

6– अभिलेखीकरण एवं रिपोर्टिंग :– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उपयोग हेतु किये गये उक्त प्राविधानों के अधीन इस कार्य से जुड़े समस्त विभाग अपने–अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व के अनुसार अभिलेखों का रख–रखाव एवं रिपोर्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश/आदेश भी जारी करेंगे।

आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्राप्त एवं वितरित खाद्यान्न की मात्रा का निर्धारित पंजिकाओं पर नियमानुसार अंकन किया जायेगा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाभार्थी को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न का विवरण पोषण ट्रेकर में भी अंकित किया जायेगा।

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़े समस्त विभाग/कार्यालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा निर्धारित किये गये प्रारुप पर इस कार्यक्रम की नियमित प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग के साथ–साथ निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करेंगे।

7–अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं हेतु योजना–SAG के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उपयोग हेतु की गई उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन का निरन्तर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा। जिसके लिये मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जायेगीः–

1. मुख्य विकास अधिकारी – **अध्यक्ष**
2. जिला शिक्षा अधिकारी – सदस्य
3. जिला पंचायत राज अधिकारी – सदस्य
4. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित अधिकारी– सदस्य
5. जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी– सदस्य
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी – सदस्य–सचिव

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किशोरी बालिकाओं हेतु योजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए उक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

23/02/2023

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्या– 347 /XVII(4)/2023-29/2010(49916) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव,मा0मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री महोदया के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त व्यवस्था के कियान्वयन किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. आयुक्त खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें उत्तराखण्ड देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,/बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

23/02/2023

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।